

TOP PRIORITY/OUT TODAY
DELHI VIDHAN SABHA QUESTIONS

Government of NCT of Delhi
Finance Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No.5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-IV/ 293

Dated: 26-3-2025

To,

The Deputy Secretary
(Question Cell),
Delhi Vidhan Sabha Sachivalaya,
Government of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-54

Sub:- **Delhi Vidhan Sabha Un-Starred Question No.:-117,**
Dated:- 26.03.2025, Question asked by: Ms. Atishi

Sir,

I am directed to forward herewith 100 copies of reply of Finance Department (provided by Expenditure-I) of Finance Department w.r.t. the Un-Starred Question No. 117 listed for 26.03.2025 which is duly approved by Hon'ble Chief Minister/Finance Minister, Delhi.

Yours faithfully,

Encl: As above.


Deputy Secretary
Finance Department

वित्त विभाग दिल्ली सरकार
चौथा लेवल, 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं. 5 (192) / वित्त / 2024-25 / डीवीएस प्रश्न / डीएस-IV / 278

दिनांक: 25 मार्च - 2025

अतारांकित प्रश्न संख्या:-117

दिनांक:-26.03.2025

प्रश्नकर्ता का नाम:- सुश्री आतिशी

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

कम.संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	क्या वित्त विभाग ने शहरी विकास विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड को नीतियों के निर्धारण हेतु कोई पत्र भेजा था।	जी नहीं।
ख	यदि हाँ तो उसकी प्रति दें।	'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।
ग	क्या वित्त विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड के सामने नीति-निर्धारण न होने के कारण निधियों को स्वीकृत करने व उन्हें जारी करने के लिए कोई शर्तें रखी थीं	'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।
घ	क्या दिल्ली जल बोर्ड / शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में इन नीतियों का निर्धारण करके वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था	'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।
ङ	यदि हाँ तो उसका विवरण प्रस्तुत करें	'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।
च	क्या ऐसी जो नीतियाँ प्रस्तुत की गई थी उन्हें वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी थी क्या इन नीतियों के लिए मंत्रीमंडल की स्वीकृति वांछित है इन नीतियों को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है।	'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।
छ	क्या दिल्ली जल बोर्ड की नीतियों को वित्त विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृति दे दी गई है, और	'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।
ज	क्या सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वित्त विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 की निधियाँ दिल्ली जल बोर्ड को स्वीकृत/जारी की जा सकती है।	'क' के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

यह उत्तर माननीय वित्त मंत्री दिल्ली द्वारा अनुमोदित है।


उप सचिव
वित्त विभाग